



रजिनोन०एल०डब्लू/एल०पी०८९०
लाइसेंस न०डब्लूपी०-४१
लाइसेंस व पोस्ट एण्ड कन्सनल

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग-४, खण्ड (ख)

(परिनियत आदेश)

लखनऊ, शनिवार, 22 दिसम्बर, 2001

पौष 1, 1923 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश सरकार

कर एवं निबंधन अनुभाग-५

संख्या क०नि०-५-७८११/११-२००१-३१२ (४३)-९१ टी०सी०

लखनऊ, 22 दिसम्बर, 2001

अधिसूचना

प०आ० 761

रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (अधिनियम संख्या 16 सन् 1908) की धारा 5 के अधीन शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल इस निमित्त जारी की गयी पूर्ववर्ती अधिसूचना का आंशिक उपान्तर करके जिला प्रतापगढ़ के उप-जिला पट्टी की सीमाओं का परिवर्तन करके जिला प्रतापगढ़ में एक नया उप-जिला रानीगंज का सृजन करते हैं और उप-जिला रानीगंज पट्टी की निम्न अनुसूची के स्तम्भ 3 में प्रत्येक के सामने यथा दर्शित सीमाएं विहित करते हैं।

2- उपर्युक्त अधिनियम की धारा 7 के अधीन राज्यपाल अग्रेतर उप-जिला औराई में सब-रजिस्टर कार्यालय स्थापित करते हैं।

3- यह अधिसूचना सरकारी गजट में प्रकाशन के दिनांक से प्रवृत्त होगी।

अनुसूची

क्रम सं0	उपजिला का नाम	उप जिले की सीमाएं
1	2	3
1	रानीगंज	रानीगंज की राजस्व तहसील
2	पट्टी	पट्टी की राजस्व तहसील

आज्ञा से
टी0जार्ज जोसेफ
प्रमुख सचिव।